-प्रेस नोट-

दिनांक– 24.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी का विवरणः-

- ***02 अंगूठी (पीली धातु)***
- ***01 गले का सेट मय झूमकी (पीली धातु)***
- ***01 गले का सेट मय टॉप्स (पीली धातु)***
- ***02 कंगन (पीली धातु)***
- ***01 चैन (पीली धातु)***
- ***01 माथे का टीका (पीली धातु)***
- ***01 अंगूठी (सफेद धातु)***
- ***01 ओम (सफेद धातु)***
- ***03 जोडी पाजेब (सफेद धातु)***
- ***02 गुच्छे (सफेद धातु)***
- ***01 तगडी लडी वाली (सफेद धातु)***
- ***01 जोडी कड़ूले (सफेद धातु)***

घटना का विवरणः- *दिनांक 23.08.2026 को वादी श्री पवन कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम सलूनी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के नौकर विजय पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर द्वारा वादी के घर मे रखी अलमारी से सोने व चाँदी के जेवर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 274/2026 धारा 306 बीएनएस के पंजीकृत कराया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी की घटना का संज्ञान लेकर घटना के सफल अनावरण व अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में* ***वांछित अभियुक्त विजय उर्फ ब्रजेश पुत्र मागेराम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम* ***कलरी से ग्राम इब्राहीमपुर की तरफ आते हुए रेलवे ओवरब्रिज के पास से*** *गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया सामान* ***(दो अंगूठी पीली धातु, एक अंगूठी सफेद धातु, एक गले का सेट मय झूमकी पीली धातु, गले का सेट मय टॉप्स पीली धातु, दो कंगन पीली धातु, एक ओम सफेद धातु, तीन जोडी पाजेब सफेद धातु, दो गुच्छे सफेद धातु, एक तगडी लडी वाली सफेद धातु, एक चैन पीली धातु, एक जोडी कड़ूले सफेद धातु, एक माथे का टीका पीली धातु)*** *बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस*

की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- *अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह जेवरात मैने दिनांक 22/08/2026 को अपने मालिक पवन के घर से चोरी किये थे। मैं वहां नौकरी करता हूँ। मैने अपने मालिक पवन की पत्नी प्रिया को एक दो बार सेफ में जेवरात रखते हुए देख लिया था और मेरे मन में लालच आ गया था। उसी सामान से कुछ जेवरात में बेचने के लिए किसी राह चलते ग्राहक की तलाश में खड़ा था।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विजय उर्फ ब्रजेश पुत्र मागेराम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *02 अंगूठी (पीली धातु)*
- *01 गले का सेट मय झूमकी (पीली धातु)*
- *01 गले का सेट मय टॉप्स (पीली धातु)*
- *02 कंगन (पीली धातु)*
- *01 चैन (पीली धातु)*
- *01 माथे का टीका (पीली धातु)*
- *01 अंगूठी (सफेद धातु)*
- *01 ओम (सफेद धातु)*
- *03 जोडी पाजेब (सफेद धातु)*
- *02 गुच्छे (सफेद धातु)*
- *01 तगडी लडी वाली (सफेद धातु)*
- *01 जोडी कड़ूले (सफेद धातु)*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार सरसावा सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 760 गुडडू तंवर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 2223 दुर्गेश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।*

दिनांक 24.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – **"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.08.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त शेरू पुत्र इकराम निवासी शेरपुर खेलमऊ थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) हाल पता बुढडा खेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को बाबा लाल दास रोड पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शेरू उपरोक्त के कब्जे से कुल **120 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर में लगभग एक दर्जन मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 440/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त शेरू उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शेरू पुत्र इकराम निवासी शेरपुर खेलमऊ थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) हाल पता बुढडा खेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *120 ग्राम अवैध चरस*

अभियुक्त शेरू उपरोक्त का अपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0 185/2024 धारा 3(5), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 144/2024 धारा 34, 379, 411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 182/2024 धारा 3(5), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 253/2024 धारा 34, 379, 411 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर*

5. मु0अ0सं0 256/2024 धारा 34, 379, 411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 279/2024 धारा 3(5), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 129/2026 धारा 115(2), 324(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 379/2024 धारा 3(5), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 411/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 425/2024 धारा 3(5), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 430/2024 धारा 317(5), 318(4) थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
12. मु0अ0सं0- 01/2025 धारा 2/3 उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1233 विपिन राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1002 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक 24.08.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **नसीम उर्फ अन्नू पुत्र अकबर निवासी सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर** को मण्डी परिसर में कूड़े के ढेर के पास खण्डहर भवन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल **110 ग्राम अवैध चरस** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर **मु0अ0सं0 439/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त नसीम उर्फ अन्नू उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नसीम उर्फ अन्नू पुत्र अकबर निवासी सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- *110 ग्राम अवैध चरस*

अभियुक्त नसीम उर्फ अन्नू का अपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0सं0 327/2022 धारा 308, 504 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 85/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 208/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0 439/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 848 कपिल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1570 रवि कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

दिनांक: **24-08-2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा शादी का झाँसा देकर दुष्कर्म करने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनांक 23.08.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त रेशब पुत्र नामालूम निवासी डा0 अफजाल वाली गली कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक संम्बन्ध बनाने व शादी के लिये कहने पर शादी न करके, जान से मारने की धमकी देने के संम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 343/26 धारा 69/351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म के मुकदमें में* ***वांछित अभियुक्त रेशब पुत्र श्री रियाजुलहक उर्फ निना निवासी मौहल्ला लोहारान कस्बा व थाना बेहट जिला सहारनपुर*** *को मौहल्ला लोहारान कस्बा बेहट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रेशब पुत्र श्री रियाजुलहक उर्फ निना निवासी मौहल्ला लोहारान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर

2. का0 1802 बिट्टू थाना बेहट जनपद सहारनपुर

3. रि0का0 463 सचिन कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 24-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी सैमसंग की एलईडी (टी0वी0) बरामद

घटना का विवरणः- दिनांक 24.08.2026 को वादिनी श्रीमति नफीसा पत्नी मो0 अली निवासी ग्राम सेलाकुई जमनपुर त0 विकासनगर जिला देहरादून की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादिया के घर से चीनी चावल एलईडी सेंमसंग व ड्राईफ्रूट चोरी करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई । जिस पर अबिलम्व मु0अ0सं0 345/26 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत हुआ।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बेहट श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 अभियुक्त जैद पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला मनिहारान कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर** को आनन्द बाग वाले रास्ते से ग्राम कादरपुर की तरफ से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही पर चोरी गयी सैमसंग एलईडी (टीवी) बरामद । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

जैद पुत्र मुस्तफा निवासी मौहल्ला मनिहारान कस्बा व थाना बेहट सहारनपुर

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 144/2026 धारा 3(5), 309(4), 317(2) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 अदद एलईडी(टीवी) सैमसंग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
2. का0 1802 बिट्टू कुमार, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर
3. का0 2458 कमल सिंह थाना बेहट, जनपद सहारनपुर

दिनांकः 24.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल व घटना में प्रयुक्त सिल्वर रंग की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल भी बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 22.08.2026 को वादी हसीन पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम ग्राम बिलासपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की तहरीर बावत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस UP11CD 4318 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 612/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल वाहन चोरी की उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबन्द श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 23.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान* ***02 अभियुक्तगण 1. दुष्यन्त कुमार उर्फ बच्चा पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर व 2. अभिनव उर्फ बन्टी पुत्र श्री झल सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर*** *को खेड़ामुगल शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में* ***चोरी गयी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला बिना नम्बर*** *व* ***मोटरसाइकिल चोरी की घटना में प्रयुक्त सिल्वर रंग की स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल*** *बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- दुष्यन्त कुमार उर्फ बच्चा पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर
2. अभिनव उर्फ बन्टी पुत्र श्री झल सिंह निवासी ग्राम महमूदपुर थाना देवबंद जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 बिना नम्बर की चोरी गयी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल रंग काला*
- *01 चोरी की घटना में प्रयुक्त सिल्वर रंग की स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर*
2. *है0का0 1050 नितिन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर*
3. *का0 478 पंकज सैनी थाना देवबन्द सहारनपुर*
4. *का0 1830 शुभम थाना देवबन्द सहारनपुर*
5. *का0 1480 विपिन कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर*

दिनांकः **24.08.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द द्वारा AC के आऊटडोर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर चोरी गया Split AC का आऊटडोर बरामद

घटना का विवरणः- *दिनांक 13.08.2026 को वादी श्री मानसिह पुत्र रघुवीर सिह निवासी मौ0 कायस्थवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की तहरीर बावत बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की छत से स्पलिट ए0सी0 का आऊटर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 585/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीपकृत किया गया ।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व चोर/नकबजन/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द श्री संदीप बालियान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये* ***01 अभियुक्त चांद पुत्र बदर निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर*** *को मंगलोर रोड मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया Split AC का टूटा फूटा ताबे का आउटर बरामद । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- चांद पुत्र बदर निवासी मौहल्ला कायस्थवाडा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 चोरी गयी Split AC का आउटडोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री लोकेन्द्र सिंह, थाना देवबन्द सहारनपुर*
2. *का0 2284 श्रीकृष्ण, थाना देवबन्द सहारनपुर*
3. *रि0का0 मौ0 660 शानिव, थाना देवबन्द सहारनपुर*

दिनांक: **24.08.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी से फर्जी मार्कशीट/डिग्री बनाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- *दिनाकं 07.11.2025 को वादिनी रेशमा ताहिर(डीन) ग्लोकल यूनिवर्सिटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी से ग्लोकल यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री/मार्कशीट तैयार करने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 262/25 धारा 318(2)/338/336(2)/340(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से अभियुक्त राजेश पुत्र राममूर्ति निवासी रामशरण कालोनी थाना गुरुदासपुर जिला गुरुदासपुर जिला गुरुदासपुर पंजाब का नाम प्रकाश में आया ।*

पुलिस कार्यवाहीः- *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये* ***वांछित अभियुक्त राजेश पुत्र राममूर्ति निवासी रामशरण कालोनी थाना गुरूदासपुर जिला गुरूदासपुर (पंजाब)*** *को जनपद गुरूदासपुर (पंजाब) से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजेश पुत्र राममूर्ति निवासी रामशरण कालोनी थाना गुरुदासपुर जिला गुरुदासपुर जिला गुरुदासपुर पंजाब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. *थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
3. *हे0का0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर*
4. *म0का0 999 वर्षा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

दिनांक- 24.08.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों को आग से बचाव एवं आग पर प्रभावी नियंत्रण के उपायों के प्रति किया गया जागरूक

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगजनी की घटनाओं से होने वाली जन-धन की हानि को न्यूनतम करने तथा पुलिस बल को आपात परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित किए जाने के क्रम में आज दिनांक 24.08.2026 को ***एफएसओ सरसावा श्री विनय धनकड़*** *द्वारा मय टीम* ***थाना चिलकाना*** *पहुंचकर पुलिसकर्मियों को अग्निशमन एवं आग से बचाव के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।*

प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को ***घरों, दुकानों, खेतों एवं फसलों आदि में आग लगने की स्थिति में तत्काल उठाए जाने वाले आवश्यक कदम****, आग के प्रकार के अनुसार उसे बुझाने के उचित तरीके, अग्निशमन उपकरणों के सुरक्षित एवं प्रभावी उपयोग तथा आग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।*

साथ ही, आग लगने की घटना के दौरान ***स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई करने****, आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा समय रहते आग पर नियंत्रण स्थापित कर बड़े नुकसान को रोकने के संबंध में आवश्यक सावधानियां बताई गईं।*

सहारनपुर पुलिस आमजन की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा आपदा एवं आगजनी जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में त्वरित, प्रभावी एवं सुरक्षित पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु लगातार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक: **24-08-2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा कपडे चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये कपडे बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 24.08.2026 को वादी श्री नदीम पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी ग्राम दबकोरा थाना बेहट जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 1. सुफियान पुत्र मुकर्रम 2. उबैद पुत्र फुरकान निवासीगण ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर घर में घुसकर घर में रखे कीमती कपडें व अन्य सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0स0 346/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तगण ***1. सुफियान पुत्र मुकर्रम 2. उबैद पुत्र फुरकान निवासी गण ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को उसण्ड मोड़ के सामने सडक के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये कपड़े (05 जोडी लेड़ीज सूट) बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सुफियान पुत्र मुकर्रम निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उबैद पुत्र फुरकान निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी गये कपड़े

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 619 हरेन्द्र सिंह, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 448 पंकज कुमार थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 452 रवि गौतम थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।
5. रि0का0 443 अनुज सागर थाना बेहट, जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 24.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ 01 इन्वर्टर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.07.2026 को वादी श्री गुलशन पुत्र चन्द्ररूप निवासी ग्राम सबदलपुर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत रात्री के समय वादी की दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा 02 इन्वर्टर, 2 बैटरी व 17000/- रुपये व लोवर टी-शर्ट आदि चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-299/26 धारा 305ए बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुध पंजीकृत किया गया।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण हेतु व अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24.08.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त **गुलबहार पुत्र निसार निवासी इस्लाम नगर थाना रामपुर मनिहारण जिला सहारनपुर** को मानक मऊ बस स्टैन्ड की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी किये गया **01 इन्वर्टर** बरामद हुआ। बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में **धारा 317(2) बीएनएस** की वृद्धि की गई। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

विवरण पूछताछः- *गिरफ्तार अभियुक्त गुलबहार ने बताया कि मैं, मेरा भाई व हमारा एक अन्य साथी हम तीनों गैंग बनाकर सहारनपुर व अन्य राज्यों मे भी इंवर्टर बैटरी चोरी करते थे। चोरी के माल को बेचकर हम सब अपना जीवनयापन करते है। एक माह पहले यह इन्वर्टर हम तीनों मिलकर सबदलपुर में दो दुकानों मे से चोरी किए थे। मेरे हिस्से मे उस चोरी से एक ये वाला इंवर्टर आया था व उसी चोरी मे इस इंन्वर्टर के साथ की बैटरी हमारे अन्य साथी के हिस्से मे आई थी जो उसी के पास है व मेरे भाई के पास से इंवर्टर व बैटरी व अन्य सामान पुलिस को पहले ही बरामद हो चुका है। मैंने यह इंवर्टर छुपा रखा था मैं आज इस इन्वर्टर को बेचने के लिए सहारनपुर जा रहा था तभी आपने मुझे पकड़ लिया।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुलबहार पुत्र निसार निवासी इस्लाम नगर थाना रामपुर मनिहारण जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *01 इन्वर्टर बरामद*

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास -

1. *मु0अ0स0 314/24 धारा 305(ए)/317(2)/ 331(4) बीएनएस थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर।*
2. *मु0अ0स0 429/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।*

3. मु0अ0स0 517/24 धारा 305(ए)/317(2)/ 324(4) बीएनएस थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0स0 537/24 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0स0 410/24 धारा 305(ए)/317(2)/ 331(4) बीएनएस थाना नकुड जनपद सहारनपुर ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 कुलवन्त सिंह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 234 अरुण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. रि0का0 1381 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।